मंथन क्रमांक–160
भारत सरकार का जासूसी कांड

समाज में प्रत्येक व्यक्ति के दूसरे लोगों से जो आपसी संबंध होते हैं, वह प्रायः अलग–अलग प्रकार के हो सकते हैं। मोटे तौर पर हम इन्हें आठ प्रकार में विभाजित कर सकते हैं।

1–सहभागी 2– सहयोगी 3–समर्थक 4–प्रशंसक 5–समीक्षक 6–आलोचक 7–विरोधी 8–शत्रु

हम सबके प्रति अलग–अलग प्रकार के आकलन करके उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं। आपसी व्यवहार में आवश्यकतानुसार एक दूसरे की जासूसी भी होती है। हम किसी पर भी कितना भी विश्वास कर ले किंतु कुछ सतर्कता और सावधानी भी रखते हैं। इस सतर्कता या सावधानी की गुणवत्ता को ही हम जासूसी मानते हैं। जासूसी एक सामान्य बात है जिसका उपयोग परिस्थिति अनुसार प्रत्येक व्यक्ति करता है। जासूसी करना किसी भी प्रकार से कोई अपराध नहीं होता। वैसे तो इसे हम अनैतिक भी नहीं कह सकते लेकिन किसी की जासूसी करके उस जानकारी का गलत उपयोग करना अपराध या अनैतिक माना जा सकता है। आमतौर पर पति–पत्नी के बीच जासूसी की घटनाएं होती ही हैं। इनकम टैक्स विभाग हमेशा व्यापारियों और उद्योग पतियों की जासूसी करता है। किसी भी सरकार के लिए जासूसी को कुटनीति का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। यदि कोई सरकार जासूसी के मामले में कमजोर रहती है तो वह सरकार असफल मानी जाती है। पुराने जमाने में तो जासूसी के लिये महिलाओं को विषकन्या बनाने तक का प्रयत्न होता था। वर्तमान समय में भी इसके लिए महिलाओं का बहुत उपयोग होता है। मीडिया तो आमतौर पर जासूसी का उपयोग करती ही है। मीडिया को तो जासूसी के लिए विशेष रूप से कानूनी सुविधा भी प्राप्त है जासूसी शब्द का दुरुपयोग भी होता है। लोग दूसरों से संबंध तोड़ने के लिए उस पर ऐसे झूठे आरोप लगा भी देते हैं। चंद्रशेखर से जब कांग्रेस पार्टी अलग होना चाहती थी तब भी चंद्रशेखर पर जासूसी के आरोप लगाकर ही उनकी सरकार को गिराया गया था।

निजता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और जासूसी करना व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। स्पष्ट है कि किसी की जासूसी करने से उसकी निजता का उल्लंघन होता है। इस तरह यह बहस छिड जाती है कि जासूसी करना अपराध है या नहीं। मेरे विचार से किसी व्यक्ति की यदि जासूसी की जाती है तो उसके तरीके पर हम विचार कर सकते हैं कि जासूसी के तरीके में किसी सीमा का उल्लंघन किया गया या नहीं। कल्पना करिए कि हम किसी की गुप्त बातें सुनने के लिए उसके घर के अंदर जाकर छिप जाते हैं तो छिप जाना अपराध नहीं है लेकिन घर के अंदर घुसना तो अपराध माना जाएगा। आप किसी के घर में गुप्त रूप से कैमरा लगा देते हैं तो वह कैमरा लगाना अपराध है लेकिन कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और आप उसकी बात गुप्त रूप से रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है। इसलिए जासूसी करने को स्पष्ट रूप से अपराध कहना उचित नहीं है। फिर भी जासूसी करने में खतरे भी बहुत है यदि जासूसी का भेद खुल जाता है तब आपके और उसके संबंधों पर बहुत ही गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जासूसी करने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है और अनावश्यक जासूसी से बचना भी पड़ता है क्योंकि कई बार लाभ की जगह नुकसान ज्यादा हो सकता है।

अब हम वर्तमान जासूसी प्रकरण की चर्चा करें। अब जासूसी के लिए कुछ अति आधुनिक तरीके सामने आ रहे हैं। इजरायल ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके माध्यम से जासूसी करना बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। इसलिए उपकरण बनाने वाली कंपनी उस उपकरण को सिर्फ सरकारों को ही देती है, अलग लोगों को नहीं। सरकारों को भी ऐसी उपकरणों का उपयोग आपराधिक मामलों में जासूसी के लिए ही करना चाहिए। राजनैतिक मामले में करना भले ही अपराध नहीं है किंतु अनैतिक तो होता ही है। साथ ही साथ गैर कानूनी भी हो सकता है। क्योंकि सरकारे किसी कानूनी सीमा में रहकर ही किसी की जासूसी कर सकती है। वर्तमान मामले में अपराधियों को छोड़कर अन्य लोगों की जासूसी हुई या नहीं इसके कोई प्रमाण नहीं हैं, और यदि जासूसी हुई तब वह गैर कानूनी है या अनैतिक यह भी स्पष्ट नहीं है। जबसे नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से भारत में आतंकवाद की घटनाएं कम हुई है। भारत में पाकिस्तान पर सफल एयर स्ट्राइक भी किया गया था। अनेक मामलों में अपराध करने के पूर्व ही अपराधी पकड़ लिए गए। इससे स्पष्ट होता है कि भारत सरकार अधिक अच्छे तरीके से जासूसी करने में सफल है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। स्वाभाविक है कि विदेशी शक्तियां भी सरकार को परेशान करने के लिए इस प्रकार की कोशिश कर सकती है। यह भी संभव है कि विपक्ष सरकार को परेशान करने के लिए इस प्रकार के सत्य या असत्य मामलों को हथियार बनाकर उपयोग कर रहा हो। साथ ही यह भी संभव है कि सरकार ने विपक्षी नेताओं की जासूसी के लिए उस यंत्र का उपयोग किया हो। लेकिन इस जासूसी का हल्ला करके भारत की संप्रभुता को नुकसान अधिक पहुंचाया जा चुका है। 2 वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार इसी इजराइली यंत्र को आधार बनाकर ऐसा ही जोरदार हल्ला किया गया था। यहां तक कि हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी इस यंत्र की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई थी। उस जांच कमेटी में उस समय के जी डी पी समेत कई उच्च अधिकारी शामिल किये गये थे और 8 महिनें तक लगातार जांच करने के बाद किसी आरोप की पुष्टि नहीं हो पाई। मैं नहीं समझ पा रहा कि फिर दोबारा उसी आरोप को इतने जोर–शोर से उठाने का क्या औचित्य है। यदि कोई गैरकानूनी कार्य हुआ है तो उसके लिये कानूनी तरीके से न्यायालय में सुनवाई हो रही है। लेकिन संसद में जो कुछ भी हो रहा है वह एक प्रकार से अनैतिक कार्य है। इस प्रकार के अनैतिक कार्य की निंदा होनी चाहिए। जब सरकार के पास जासूसी के इतने मजबूत उपकरण मौजूद है और सरकार तथा राजनीतिक सत्ता एक जगह इकट्ठे हैं तो यह तो यह खतरा भी स्वाभाविक है कि कोई राजनीतिक दल सरकारी उपकरण का दुरुपयोग कर सकता है अमेरिका में ऐसी जासूसी पर वहां के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ा था लेकिन भारत में नैतिकता के कोई मापदंड नहीं है इसलिए हम सरकार या विपक्ष के लिये नैतिकता का कोई मापदंड नही बना पा रहे है। इस संबंध मे सबसे पहले हमे यह विचार करना होगा कि सरकार और राजनैतिक दल के बीच मे अलग अलग समूह हो । राजनैतिक दलो का कार्यपालिका मे किसी तरह का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नही होना चाहिये। जैसा वर्तमान भारत में है। यदि कोई प्रधानमंत्री राजनीति का सक्रिय कार्यकर्ता होगा तो

आप इस प्रकार की जासूसी को अलग अलग नही कर सकेंगे। इसलिये सरकार और दल को अलग अलग रखने पर भी सोचा जाना चाहिये।

यह बात भी विचारणीय है कि जासूसी से कुछ लोग इतने परेशान क्यों है! हम अपने सार्वजनिक जीवन को अधिक से अधिक खुला रखे, जिससे जासूसी का डर ही न हो । यदि आपकी कोई विशेष गुप्त बात है तो उसे बचाकर रखने में और अधिक सावधान रहना चाहिये। लेकिन आप यदि कुछ गलत करते है और जासूसी के माध्यम से आपका भेद खुल जाता है तो गलत आप है या जासूसी करनेवाला, यह भी एक विवाद का विषय है। जासूसी करनेवाले ने आपके साथ धोखा किया है। यह बात तो स्पष्ट है किन्तु आप उस भेद के खुल जाने से होने वाले नुकसान से नही बच सकते। इसलिये सार्वजनिक जीवन मे अधिक खुलापन रखना ही अधिक उचित है। मेरे विचार से वर्तमान जासूसी के हमले को सिर्फ कानूनी तरीके तक ही सीमित रखना चाहिये था जिसमे विपक्ष पूरी तरह विफल रहा है।

सामयिकी

1—भारत विभाजन का जिम्मेदार कौन? बजरंग मुनि

मैं बचपन से ही सुनता था कि भारत—पाकिस्तान का बंटवारा गांधी जी ने कराया जो नहीं कराना चाहिए था। मैंने बचपन में गुरुदत्त को बहुत पढ़ा, उनका भी यही लिखना था कि भारत—पाकिस्तान विभाजन में गांधी जी की नीति गलत थी। मेरे आर्य समाज के विद्वान भी हमेशा यही कहते थे। लेकिन बड़ा होकर जब मैंने स्वयं चिंतन मंथन किया तो पता चला कि गांधी विभाजन के खिलाफ थे, और नेहरू—अंबेडकर—पटेल पक्ष में। इनमें भी सरदार पटेल की विभाजन में सबसे ज्यादा भूमिका थी। यह बात भी सामने आई कि देश का विभाजन उस समय की मजबूरी थी। इसलिये ना चाहते हुए भी गांधी, पटेल के सामने झुक गए। बाद में मैंने इस प्रश्न का उत्तर खोजना शुरू किया कि इतना बड़ा झूठ पूरे भारत में फैला कैसे और फैलाने का उद्देश्य क्या था, तो पता चला कि सभी राजनीतिक दल के नेता गांधी के लोक स्वराज और वर्ग समन्वय की नीति के खिलाफ थे। सभी नेता गांधी से मुक्ति चाहते थे, चाहे उन्हें रिटायर्ड करके हो या कोई और तरीका हो। गांधी किसी भी स्थिति में स्वतंत्रता से आगे जाकर सक्रिय रहना चाहते थे । परिणाम हुआ, गांधी हत्या होते ही सब ने गांधी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोषी सिद्ध करना शुरू कर दिया, गांधी को मारने वाले भी और मानने वाले भी । यहां तक कि गांधीवादी भी साम्यवादियों तथा नेहरू के भक्त बन गए। परिणाम हुआ कि भारत में यह झूठ घर—घर तक पहुंच गया कि भारत विभाजन एक भूल थी, जिसके लिए गांधी दोषी हैं। पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक भी व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं कि भारत विभाजन में सरदार पटेल की भूमिका सबसे अधिक थी और गांधी की शून्य। लेकिन मैं आज भी अपनी बात को सही मानता हूं और मैं यह महसूस करता हूँ कि समाज के समक्ष एक न एक दिन सच आकर रहेगा ।

2— आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना वक्त क्यों लगा ? बजरंग मुनि

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने टिप्पणी की है कि उनका 90 प्रतिशत समय अनावश्यक तथा महत्वहीन याचिकाओं के निपटारे में खर्च हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है ।

मुझे आश्चर्य होता है कि यह समझने में कोर्ट को इतना ज्यादा समय क्यों लगा? यह बात तो मैं 20 वर्ष पूर्व से ही लिख रहा हूं कि जनहित याचिकाएं समाधान नहीं है बल्कि समस्या है । सच्चाई यह है कि जब विधायिका ने न्यायपालिका को गलत तरीके से कमजोर किया था, तब न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं का असंवैधानिक तरीका अपनाकर संसदीय तानाशाही से लोकतंत्र को बचाया था। वह एक अल्पकालिक दवा थी, लेकिन न्यायपालिका उस दवा को जारी रखकर न्यायिक तानाशाही की दिशा में बढ़ने लगी, इसका परिणाम हुआ न्यायिक अव्यवस्था । न्यायपालिका सरकार से दिनभर प्रश्न पूछ पूछ कर अपना समय बर्बाद करती है जो उसका काम नहीं है। न्यायपालिका सरकार से बार—बार प्रश्न पूछती है कि आप कब तक टीकाकरण पूरा कर देंगे, आप वैक्सीन की कीमत अलग—अलग किस आधार पर रख रहे हैं। इस प्रकार के अनावश्यक प्रश्न बार बार पूछने का अधिकार न्यायपालिका को कहां से प्राप्त हुआ और यदि अधिकार है भी तो इसकी आवश्यकता क्या है! कार्यपालिका की गलतियों की समीक्षा विधायिका करती है ना कि न्यायपालिका। न्यायपालिका को कभी भी कार्यपालिक या विधाई कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए लेकिन यदि न्यायालय सारा काम खुद करने लगेगा तो अव्यवस्था स्वाभाविक है । दुर्भाग्य है इतनी छोटी—सी लोकतांत्रिक बात महसूस करने में सुप्रीम कोर्ट को इतना लंबा समय लगा, पता नहीं इसको कार्यान्वित करने में अभी और कितना समय लग जाएगा । भारत को न संसदीय तानाशाही की जरूरत है और न न्यायिक तानाशाही की जरूरत है, भारत को वर्तमान समय में लोकतांत्रिक तानाशाही की जरूरत है। न्यायपालिका को इस संबंध में संतुलन बनाना चाहिए।

3—नेता और उनकी व्यवस्था के बीच में पिसता किसान और उपभोक्ता—बजरंग मुनि

मैंने सुना है कि पुराने जमाने में राजा लोग अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए दो निहत्थे व्यक्तियों को शेर से लड़ने के लिए छोड़ देते थे, शेर उन्हें घायल करता था और ये लोग आनंद लेते थे। जब वह ज्यादा लहूलुहान हो जाते थे तब राजा लोग इन व्यक्तियों की मरहम पट्टी कराते थे । आज भी हमारी सरकारें अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए किसान और उपभोक्ता को अपनी सरकारी व्यवस्था से बचने के लिए छोड़ देते हैं। व्यवस्था दोनों को लहूलुहान कर देती है और यह राजनेता दोनों की मरहम—पट्टी कराते हैं । हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा मजा लेने वालों में ज्यादा ही आगे आगे रहती है । धान का बाजार रेट 15 रूपये प्रति किलो , देशभर में खरीदी उन्नीस सौ रुपया प्रति क्वींटल है, लेकिन सरकार ने छत्तीसगढ़ में पच्चीस सौ रुपया प्रति क्विंटल खरीद रही है। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार का क्रांतिकारी फैसला है। 2500 में धान खरीदी की गई है लेकिन रखने की जगह नहीं है, उपयोग नहीं है, बेचने के लिए 1400 का रेट निर्धारित लेकिन ग्राहक नहीं है। पानी बरस गया,

अनाज खराब होने लग गया, अब किसी भी रेट में ग्राहक खरीदने को तैयार नहीं है। लाखों टन अनाज सड़ने का खतरा दिखाई पड़ रहा है। इस स्थिति में किसान सहायता का नाटक क्यों? क्या बिना अनाज खरीदे किसानों को सीधे सहायता संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार को भी पता है कि मनमोहन सिंह के समय इसी तरह अनाज सड़ाया जा रहा था ,तब सुप्रीम कोर्ट ने दो बार कठोर टिप्पणी की थी। जय जवान–जय किसान का नारा देने वाले, जय किसान को जिंदा रखने के लिए अनाज खरीद कर सड़ाते है और जय जवान के लिए विदेशों से आयात करते हैं। आज भी बड़ी मात्रा में दाल और तेल आयात करके जय जवान को राहत दी जा रही है। नेता दलहन और तिलहन पर टैक्स लगाते हैं और धान को मुआवजा देते है। अरे भाई दलहन और तिलहन पर टैक्स क्यों ! क्यों नहीं आप धान के बदले में दलहन,तिलहन को सहायता दे देते हैं। आयात भी बंद हो जाएगा, सड़ाकर फेंकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अपने राजनैतिक मजे के लिए दो लोगों को शेर से लड़ा कर यह मरहम–पट्टी का नाटक करते हैं। यह समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार से लेकर अन्य प्रदेश सरकारें भी ऐसा ही खेल करती हैं। छत्तीसगढ़ का तो यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।

4–कठोर कानून का दुरुपयोग–बजरंग मुनि

राजनीति में सफलता के लिए जो 10 नाटक करना आवश्यक होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाटक यह है कि राजनेता चाहे किसी भी दल का हो वह हमेशा ऐसे कानून बनाता है जिसका पालन करना आम नागरिकों के लिए लगभग मुश्किल हो। राजनेता हमेशा चाहता है कि सामान्य लोग ऐसे कानूनों का पालन न कर पाने के लिए अपने मन मे अपराध भाव महसूस करें तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कानून का उल्लंघन करने के लिए राजनेताओं के साथ समझौता करें। शरीफ लोगों को दबा कर रखने के लिए राजनेता अपराधियों के साथ हमेशा तालमेल बनाकर रखता ही है। भारत में ऐसे सैकड़ों कानून है जिनका पालन करना ना आवश्यक है ना संभव। मैं ऐसे कानूनों की लंबी सूची बता सकता हूं। ऐसे किसी एक भी कानून का 1–2 प्रतिशत से अधिक पालन नहीं हो रहा लेकिन वह सारे कानून आज भी अस्तित्व में है और आवश्यक भी माने जा रहे हैं । शरीफ लोग चोरी छिपे यदि कानून तोड़ते हैं तो उन्हे अपराधी माना जाता है और दबंग लोग डंके की चोट पर कानून तोड़ते हैं तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती। आप एक भी कानून ऐसा नहीं बता सकते जिनका आधे से ज्यादा आबादी पालन कर रही हो। अभी गडकरी जी ने बहुत जोर शोर से सड़क सुरक्षा के नाम पर बहुत कठोर कानून बनाने का नाटक किया, क्या हुआ? अभी कोरोना प्रोटोकॉल के लिये कानून बनाया गया कि बिना मास्क वाले को 1000 से 10000 तक का दंड होगा, कुछ शरीफ लोग बेचारे फंस गए और दबंग लोग खुलेआम आंदोलन करते रहे। बंगाल में आम लोगों के लिए कठोर लॉकडाउन और टीएमसी के दबंगों के लिए मुख्यमंत्री का धरना। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कठोर कानून बनाकर, उनका नाटक के रूप में उपयोग करना किसी एक दल का स्वभाव नहीं है बल्कि यह तो लोकतंत्र का एक स्वाभाविक चरित्र है और हम आम लोग राजनेताओं के इस प्रकार के नाटक में फंस जाते हैं।

5– अतिवादी और राजनेता।–बजरंग मुनि

आमतौर पर राजनेता अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त कराने के लिए अतिवादियों का सहारा लेते हैं । पंजाब में भिंडरावाले भी इंदिरा जी की ही खोज थे, बंगाल से साम्यवाद को समाप्त करने के लिए ममता को भी इसी तरह बढ़ाया गया जबकि सब जानते थे कि ममता पूरी तरह हिंसक और अलोकतांत्रिक है। अभी किसान आंदोलन के समय खालीस्तानीयो को किनारे करने के लिए भी सरकार ने राकेश टिकैत का पूरा–पूरा उपयोग किया जबकि सब जानते थे कि राकेश टिकैत कैसे आदमी हैं। आज हम इसी कड़ी में सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन की चर्चा करेंगे जिनकी पिछले महीने जेल में मृत्यु हुई है । मैंने स्वयं सिवान जाकर जानकारी इकट्ठी की तो पता चला कि शहाबुद्दीन अपराधी, सांप्रदायिक या कोई चरित्रहीन व्यक्ति कम होकर एक दबंग व्यक्ति था। उसे आप डिक्टेटर भी कह सकते हैं। इस मामले में लालू को घाघ नेता माना जाता है । उस क्षेत्र में उग्रवादी साम्यवादियों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लालू जी के सामने राजनीतिक संकट था तो बड़े लोगों के सामने असुरक्षा का संकट भी था। बहुत तेज गति से उग्र वामपंथी राजनीतिक और सामाजिक धरातल पर मजबूत होते जा रहे थे। लालू प्रसाद ने इसके लिए शहाबुद्दीन का उपयोग किया। शहाबुद्दीन व्यक्तिगत रूप से दबंग तानाशाह था ही, साथ ही उसे सरकारी और आर्थिक स्वतंत्रता मिलने के बाद वह वास्तव में तानाशाह बन गया। उस पूरे इलाके में उसका एक छत्र राज्य स्थापित हुआ। वह किसी की कभी भी किसी भी स्थान पर खुलेआम हत्या कर सकता था। उस क्षेत्र में उसका इतना प्रभाव बढ़ा कि उसके सामने ना कोई केंद्रीय मंत्री कुछ प्रभाव रखता था ना कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश । सहाबुद्दीन ही प्रशासन भी था और वही न्यायाधीश भी था। जब तक सहाबुद्दीन और लालू की जोड़ी कायम थी तब तक उस क्षेत्र में वामपंथ भी सर नहीं उठा सका और लोकतंत्र भी कब्र में ही पड़ा रहा । अब शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद वहां की व्यवस्था किधर जाएगी यह पता नहीं। मुझे लगता है कि एक बार उग्र वामपंथ फिर से सक्रिय हो सकता है, जो एक नए खतरे की घंटी है।

मैं कौन– बजरंग मुनि

मेरा नाम बजरंग मुनि है। जन्म स्थान छत्तीसगढ़ का रामानुजगंज शहर है। मैंने 15 वर्ष पूर्व वानप्रस्थ स्वीकार किया और 4 माह पूर्व 25 दिसंबर 2020 को किसी भी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों से सन्यास स्वीकार कर लिया। मैंने 14 वर्ष की उम्र से ही समाजशास्त्र पर रिसर्च, प्रयोग और निष्कर्ष में सक्रियता दिखाई जो सन्यास तक जारी रही। मैं समाजशास्त्र की ही विस्तृत जानकारी तक सीमित हूं । मैं धर्म को समाज का सहायक तथा राज्य को रक्षक तक सीमित मानता हूं। इसलिए मुझे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा संविधान का आंशिक ही ज्ञान है, जबकि धर्मशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिकशास्त्र या स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर मेरा कोई अनुभव नहीं है । धर्मशास्त्र के लिए मैं आचार्य पंकज जी तथा स्वास्थ्य मामलों में बाबा रामदेव पर निर्भर रहता हूं मैं सब प्रकार की चर्चाओं में समाजशास्त्र तक सीमित रहता हूं।

मैने अपनी सक्रियता और अपनी सीमाओं पर गंभीर चिंतन किया। चार प्रकार की सक्रियताएं संभव है। 1–युग परिवर्तन 2– व्यवस्था परिवर्तन 3– वर्तमान व्यवस्था में सुधार 4– गलत का विरोध ।

युग परिवर्तन का अर्थ है आदर्श स्थिति अर्थात संपूर्ण राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, वैश्विक तथा अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था की समीक्षा और बदलाव। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ है संवैधानिक व्यवस्था में आदर्शवादी बदलाव। व्यवस्था मे सुधार का अर्थ है वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव तथा सुव्यवस्था की दिशा। गलत का विरोध का अर्थ है अव्यवस्था का पूरी तरह विरोध।

आदर्श स्थिति में मैं विचार मंथन तक सीमित हूं। जो संस्था विचार मंथन की दिशा में बढ़ेगी मैं उसको पूरी तरह सहयोग करूंगा। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में मैं गांधी, जयप्रकाश की लाइन को बिल्कुल ठीक मानता हूं। जो भी दल या व्यक्ति गांधी, जयप्रकाश की लोक स्वराज्य और स्वशासन की दिशा का समर्थन करेगा उसका मैं पूरा समर्थन करूंगा, सहयोग नहीं । व्यवस्था में सुधार की दिशा में मैं नरेंद्र मोदी की लाइन को बिल्कुल ठीक मानता हूं, मैं उस दिशा की समीक्षा और प्रशंसा करता रहूंगा । विरोध के लिए मैं पंडित नेहरू की दिशा को पूरी तरह घातक मानता हूं । मैं मोदी पूर्व की लाइन का पूरी तरह विरोध करता हूं। इस तरह मैंने चारों प्रकार की अपनी सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं और मैं लगातार इस दिशा में सक्रिय हूं। यदि नरेंद्र मोदी की तुलना में कोई गांधी, जयप्रकाश की लाइन में बढ़ेगा तो मैं उसके साथ हूं यदि कोई नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए नेहरू की लाइन में जाएगा तो मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं।

शेष अगले अंक में...

कार्यलयीन प्रश्न

राकेश प्रसाद जी (फेसबुक से)

प्रश्न–क्या देशहित में केंद्र को जासूसी करनी चाहिए ? पेगासास को लेकर संसद मे जारी गतिरोध के बारे मे आपका क्या कहना है।

उत्तर – राज्य को जासूसी के मामले में बहुत मजबूत होना चाहिए। विधि सम्मत जासूसी बिल्कुल भी गलत नहीं है। यदि कोई कार्य गैरकानूनी है तो आप कानून के अनुसार उस पर कार्यवाही कर सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है और बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन जब तक कोई कार्य गैरकानूनी सिद्ध नहीं हुआ है तब तक संसद को नहीं चलने देना दादागिरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जनता इस प्रकार की दादागिरी करने वालों को धीरे–धीरे इटली भेज देगी।

प्रश्न –छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री द्वारा पर्यावरणवादियों और पशु प्रेमियों को जो जवाब दिया गया है आपका उस पर क्या विचार है ?

उत्तर–मैंने कृषि मंत्री जी के बयानों को सुना हैं। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि अगर पूरे छत्तीसगढ़ में हाथी स्वतंत्र विचरण करेंगे तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ को रिजर्व कर दिया जाए। मेरे विचार से उन्होने ठीक ही कहा है। कृषि मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। आजकल पर्यावरण और पशु प्रेम के नाम पर एक दुकानदारों की फौज खड़ी हो गई है न तो उन्हें मनुष्य की चिंता है न ही विकास की। विचित्र बात है कि जब आबादी बढ़ रही है तो हमें कृषि, भूमि, जंगल, तालाब, कुआं और रेल भवन सबका एक संतुलन बनाना पड़ेगा। लेकिन यह नहीं हो सकता की आबादी बढ़ रही है फिर भी हम जंगलों को बढ़ाते चले जाएं । हम पशुओं की बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाएं, यह पूरी तरह गलत है। इसलिए ऐसे धंधे वालों को जो पर्यावरण और जंगली पशुओं के प्रेम के नाम पर जंगलों को बढ़ाना चाहते हैं, जो पशुओं के लिए अधिक रिजर्व करना चाहते हैं, उन्हें दो टूक जवाब देने की जरूरत है । मै इस बात से सहमत हूं कि मनुष्यों के स्वतंत्रता को छीन कर पशुओं के लिए स्वतंत्रता नहीं बढ़ाई जा सकती। दोनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा और संतुलन मनुष्य ही मिलकर बनाएंगे, पशु प्रेमी नहीं। यदि हाथी किसी मनुष्य को मार दे तो 200000 रूपया मुआवजा मिलेगा और अगर मनुष्य किसी हाथी को मार दे तो 2–4 साल की जेल भी हो जाएगी, विचित्र बात है। हाथी हमारे घर में आकर मार रहा है, हम हाथी को जंगल में जाकर नहीं मार रहे। अगर हाथी हमारे घर में आकर मारेगा तो हम हाथी को मार सकते हैं।

राजकुमार जी (फेसबुक से)

प्रश्न– जब एससी एसटी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने समस्या का समाधान ढूंढ लिया था तो वर्तमान सरकार ने समस्या को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यो पलट दिया था ? मै इसका विरोध करता हूं।

उत्तर – वर्तमान सरकार ने तो फैसले को पलट कर ठीक किया था क्योंकि अगर यह फैसला नहीं पलटा जाता तो आदिवासी, दलितों और सवर्णों के बीच टकराव शुरू हो जाता। ये सारी समस्याएं अंबेडकर ने पैदा की है और इसलिए इसके लिए अंबेडकर दोषी हैं। जब तक इस्लामिक तुष्टीकरण का खतरा बना रहेगा तब तक इस समस्या का समाधान खोजना संभव नहीं है। आप जितनी सक्रियता से आदिवासी हरिजन कानून का विरोध कर रहे हैं, अगर उतने ही सक्रियता से गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, कृषि उत्पादन पर लगने वाले टैक्स का विरोध क्यों नहीं कर रहे। आप क्यों नहीं यह मांग कर रहे हैं कि डीजल, पेट्रोल, बिजली का दाम बढ़ा दिया जाए जिससे श्रम का मूल्य बढ़ जाए, गरीब और अमीर के बीच की खाई कम हो जाए। हो सकता है कि यह खाई कम होने से भी आदिवासी गैर आदिवासी का अंतर कम हो जाए, लेकिन आप केवल एससी एसटी एक्ट के बारे में ही ज्यादा चिंतित है।

प्रश्न– भारत मे पेट्रोल–डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे है। आपका इस पर क्या विचार है ?

उत्तर – वर्तमान भारत में सभी श्रम शोषक एकजुट होकर यह प्रचारित कर रहे हैं कि भारत में डीजल पेट्रोल बहुत मंहगा हो गया है। मैंने इस संबंध में स्वतंत्रता से अब तक के इतिहास की तुलना की। सन् 1947 में रुपया का मूल्य 1 रूपया, डॉलर 1 रूपया, चांदी 1 रूपया, मुद्रा 1 रूपया, मजदूरी 1 रूपया, प्राइवेट स्कूल शिक्षक 1 रूपया, पेट्रोल 1 रूपया, एक सरकारी शिक्षक 2 रूपया, आवागमन का खर्च प्रति 100 किलोमीटर दो रुपया, जमीन 100 रूपया, 33 प्रतिशत गरीबों का जीवन स्तर औसत 1 रूपया, मध्यम वर्ग का जीवन स्तर औसत डेढ़ रुपया और पूंजीपति का जीवन स्तर औसत 4 रूपया था अगर हम आज की तुलना करें तो सन् 1947 की तुलना में रुपए का मूल्य 110 गुना, डॉलर 73, चांदी 5000, सोना 50000 , मुद्रा 110 रूपया, मजदूरी 300, प्राइवेट स्कूल का शिक्षक 200, सरकारी शिक्षक 30,000 गरीबों का जीवन स्तर 3 गुना मध्यम वर्ग का 10 गुना और पूंजीपतियों का 100 गुना, आवागमन प्रति 100 किलोमीटर 100 रूपया, पेट्रोल 100 रूपया और जमीन अनगिनत महंगी हुई है। स्पष्ट है कि यदि रुपए से तुलना करें तो पेट्रोल सन 47 की तुलना में 1 रूपया 1 लीटर से कुछ अधिक, डॉलर से तुलना करें तो एक से कुछ कम, चांदी से करें तो 5 लीटर, सोना से करें तो 5 लीटर, मजदूर की मजदूरी से 3 लीटर, प्राइवेट शिक्षक से 2 लीटर, सरकारी शिक्षक 100 लीटर, गरीबों के हिसाब से 3 लीटर, मध्यमवर्ग का 10 लीटर, उच्च वर्ग का 30 लीटर, आवागमन खर्च आधा हो गया बताइए कि पेट्रोल की कीमत स्वतंत्रता के बाद घटी या बढी । मुझे तो लगता है कि पेट्रोल की कीमत बहुत घट गई है। सन 47 के आधार पर यदि वर्तमान समय में पेट्रोल की उचित कीमत अगर रखी जाए तो ढाई सौ होना चाहिए।

प्रश्न–कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि कश्मीर से धारा 370 का हटाना ठीक नहीं था और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो इस निर्णय पर फिर से विचार करेगी। इस पर आपका क्या मत है ?

उत्तर– कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उनके बयान का समर्थन किया तथा कुछ ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार चुप रहना उचित समझा। कश्मीर के मुस्लिम नेताओं ने दिग्विजय सिंह जी के इस कथन का खुलकर समर्थन किया। पाकिस्तान में तो कांग्रेस के इस स्टैंड का स्वागत भी किया गया। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के बाद भारत की सबसे अधिक सांप्रदायिक पार्टी रही है। गांधी के मरते ही कांग्रेस पार्टी आकंठ सांप्रदायिक दल के रूप में सामने आई। इसने खुलकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मार्ग पकड़ा लेकिन कांग्रेस पार्टी यह भूल गई कि कश्मीर का प्रश्न सिर्फ मुस्लिम सांप्रदायिकता से ही नहीं बल्कि राष्ट्रीयता के साथ भी जुड़ा हुआ है। कश्मीर भारत का अपना विधिवत भूभाग है, भारत ने कोई युद्ध करके कब्जा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपने सांप्रदायिक स्वार्थ के लिए कश्मीर को विवादास्पद बनाना कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र विरोधी कार्य माना जाएगा । मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्ष तक कश्मीर को धारा 370 के माध्यम से विवादास्पद बनाकर रखा और इस धारा के कारण पाकिस्तान को यह उम्मीद बनी रही कि कभी कश्मीर ज्यादा अशांत होगा तो उसके पाकिस्तान या स्वतंत्र होने की उम्मीद भी की जा सकती है। अब नरेंद्र मोदी द्वारा 370 की समाप्ति तथा कश्मीर की जनता के द्वारा मौन स्वीकृति के बाद पाकिस्तान यह उम्मीद छोड़ता जा रहा है किंतु भारत की सांप्रदायिक पार्टी अभी भी पाकिस्तान को आश्वासन दे रही है की उम्मीद मत छोड़ो । वैसे राहुल गांधी सरीखे अनेक बड़े कांग्रेसी भी अब ना उम्मीद होते जा रहे हैं । पहले तो कई माह तक इन्होंने उम्मीद रखी थी कि कश्मीर के लोग विद्रोह कर देंगे । उन लोगों ने कश्मीरी मुसलमानों को बहुत प्रोत्साहित भी किया, इन्होंने दुनिया के मुस्लिम देशों को भी चढ़ाया बढ़ाया लेकिन जब कुछ परिणाम नहीं दिखा तब यह हार थक कर चुप हो गए। अब तक उनकी उम्मीद पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। मेरा कांग्रेस पार्टी से अनुरोध है वह जब तक धर्मनिरपेक्ष दल के रूप में सामने नहीं आएगी तब तक उसका पतन इसी तरह होते रहेगा और यदि कश्मीर में उसने अधिक दखल दिया तो भारत की जनता उन्हें इटली भी भेजने की सोच सकती है।

अंजेश कुमार (फेसबुक से)

प्रश्न –वर्तमान परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की नीति और नीयत का रिपोर्ट कार्ड क्या है?

उत्तर – संघ में दो प्रकार के लोग हैं। एक है सावरकर वादी और एक है लोकतांत्रिक। गांधी के बारे में जो भी प्रचार होता है वह सावरकर वादी लोगों के द्वारा होता है, लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा नहीं होता। अब सावरकर वादियों पर धीरे–धीरे अंकुश लग रहा है। इनके सबसे बड़े नेता प्रवीण तोगड़िया अब बाहर किए जा चुके हैं, अन्य सावरकर वादियों पर भी लगाम लग रही है।

प्रश्न– कुछ हिन्दुत्व के ठेकेदार अब अपने विरोधियो के साथ गाली–गलौंज करने पर उतारू हो गए है। इसको आप किस रूप मे देखते है ?

उत्तर –आपकी बात सही है, कुछ लोगों ने साम्यवादियों और मुसलमानों को गाली देने के नाम पर हिंदुत्व का ठेका उठा लिया है। यह ठेकेदार लोग सब को गाली देते हैं । हम लोग साम्यवाद और इस्लाम का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि इन सावरकर वादियो ने इसका ठेका उठाया हुआ है और पेटेंट करा लिया है कि केवल वही लोग इस्लाम और साम्यवाद का विरोध कर सकते हैं । मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन लोगों ने एक पाकिस्तान सन् 47 में बटवाया, अब फिर से 70 वर्षों में वैसी ही परिस्थितियां आ गई है, क्योंकि साम्यवादी और इस्लाम का मुकाबला मूर्खता और गाली देने से नहीं हो सकता। उसके लिए तर्क की जरूरत पड़ेगी जो उनके पास दूर–दूर तक नहीं है, इसलिए हम तर्क से मुकाबला करेंगे और यदि वे हमसे भी मुकाबला करने को तैयार हो तो हम जिस तरह इस्लाम और साम्यवादियों के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से तर्क के आधार पर मुकाबला करने को तैयार हैं उसी तरह सावरकरवादियों से भी मुकाबला करने को तैयार हैं, वे आ जाये मैदान में। हम गांधी को मानते हैं, हम

तर्क और कानून पर विश्वास करते हैं, हम हिंसक मुसलमान और चालाक साम्यवाद का मुकाबला करेंगे यदि वो साथ देते हैं तो ठीक है अन्यथा उनकी मर्जी लेकिन यदि वो हमारे काम में बाधा पैदा करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे।

उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशो की सरकारे और उनकी पुलिस की कार्य प्रणाली

हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के गुप्तचर विभाग ने बहुत लंबी गुप्त निगरानी के बाद आतंक की योजना बना रहे गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरोह बहुत ही खतरनाक तरीके से राष्ट्र विरोधी आतंकी योजनाओं में सक्रिय था। बहुत ही गंभीर आतंकवादी योजना को उजागर करने के लिए यूपी पुलिस बधाई की पात्र है। लेकिन विचारणीय तथ्य यह है कि ऐसी घटनाएं योगी सरकार के पहले, घटना के पूर्व पकड़ में नहीं आ पाती थी जबकि पुलिस वही थी खुफिया तंत्र भी वहीं था। स्पष्ट है कि उस समय की सरकार की कार्यप्रणाली दोषपूर्ण थी। मुझे लगता है कि उस समय की सरकार हिंदू और मुसलमान की हिंसा और आतंक के प्रति झुकाव में कोई भेद नहीं कर पाती थी जबकि वर्तमान सरकार दोनों के संस्कारों में भेद करती है। वर्तमान सरकार मानती है कि हिंदू संस्कार से शांतिप्रिय और व्यक्तिगत स्तर पर हिंसक हो सकता है जबकि मुसलमान संस्कार से हिंसक तथा व्यक्तिगत स्तर पर अहिंसक हो सकता है। पिछली सरकार या तो इसके विपरीत मानती थी या दोनों को समान आधार पर। कौन अच्छा कौन बुरा यह मैं नहीं कह रहा किंतु अखिलेश यादव, मायावती ने पुलिस पर संदेह व्यक्त करके गलत किया है क्योंकि पुलिस व्यवस्था तो पहले भी यही थी और आज भी वही है। यदि वर्तमान पुलिस दोषी है तो अखिलेश मायावती को बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कोई अलग पुलिस व्यवस्था थी क्या। पुलिस की संवैधानिक संरचना तथा कार्य प्रणाली में नई सरकार में कोई बदलाव नहीं किया है जिससे पुलिस की संरचना में कुछ फेरबदल हुआ हो। मेरे विचार से मायावती अखिलेश के बयान गलत है। राजनेताओं पर प्रश्न भले ही उठाए जा सकते हैं किंतु पुलिस विभाग पर इस प्रकार सार्वजनिक संदेह व्यक्त करना उचित नहीं है। मायावती अखिलेश को अभी और प्रतीक्षा करने के बाद बयान देना चाहिए था। यह दोनों बयान स्पष्ट करतें है कि दोनों अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के हिमायती हैं समान स्तर के नहीं । यदि इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में कोई गैर मुसलमान पकड़ा गया होता तो मायावती, अखिलेश दोनों आसमान सर पर उठा लेते। वर्तमान सरकार हिंदू मुसलमान के मामले में जिस नीति पर चल रही है मैं उस नीति का समर्थक हूं।

दूसरी ओर हमारी महाराष्ट्र सरकार के गुप्तचर पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी लगातार धन वसूली में लगे थे, और हत्या नहीं करते तो यह भेद गुप्त ही रह जाता। छत्तीसगढ़ की गुप्तचर शाखा के सर्वोच्च पदाधिकारी भी लंबे समय से धन वसूली में ही लगे हुए थे चाहे रमन सिंह की सरकार रही हो या भूपेश बघेल, की लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा अब अकस्मात भेद खुला तो सक्रियता की बाढ़ आ गई है । कल हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के खुफिया विभाग में बहुत लंबे प्रयत्नों के बाद एक जुए का अड्डा पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। स्पष्ट है कि योगी की गुप्तचर शाखा की प्राथमिकताएं अलग है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की अलग । आतंक की गुप्तचरी करने में खतरे ही खतरे हैं और जुए शराब की करने में कमाई ही कमाई है। इसलिए योगी सरकार को छोड़कर भारत के अन्य सभी सरकारों के प्राथमिकताओं में जुआ, शराब, राशन की कालाबाजारी रहता है और योगी सरकार के लिए आतंक। अब आप बताइए कि मैं योगी सरकार की प्रशंसा क्यों न करूं!

मार्गदर्शक

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान में हर दिन रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक ज्ञान चर्चा आयोजित की जाती है। इस चर्चा में प्रतिदिन कोई न कोई किसी विषय पर अपने स्वतंत्र विचार रखते हुए व्यापक चर्चा परिचर्चा करते हैं । यह कार्यक्रम zoom के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसके माध्यम से देश भर के लगभग 100 लोग मिलकर ज्ञान चर्चा करते हैं । 18/07/2021 को शानू अग्रवाल जी ने ज्ञान चर्चा कार्यक्रम में इस्लामिक व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था पश्चिमी व्यवस्था और भारतीय व्यवस्था मोटिवेटेड और मोटीवेटर स्वदेशी विषय पर चर्चा की । उन्होंने बताया कि इस्लामिक व्यवस्था में धर्म सबसे ऊपर और व्यक्ति, समाज और राज्य नीचे माने जाते हैं, तो साम्यवादी व्यवस्था में राज्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। राज्य ही सबसे शक्तिशाली होता है । वहां समाज की कोई अवधारणा नहीं है। वहां उद्दंडता बर्दाश्त की नहीं जाती। इस व्यवस्था मे मूल अधिकार सबके खत्म हो जाते हैं । व्यक्ति या संगठन की तानाशाही होती है । इस व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं रहती है । सुव्यवस्था रहती है । वहीं पश्चिमी व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्राथमिकता व्यक्ति को दी जाती है । वहां पर भी समाज, परिवार की कोई अवधारणा नहीं है । वहां व्यक्ति को सर्वोच्च मानकर ही सभी नियम कानून बनते हैं । लगभग सभी ऐसे देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है । सब के मूल अधिकारों का ध्यान रखा जाता है । धर्म राज्य व्यवस्था मजबूत करने में सहायता प्रदान करता है । यहां पर व्यवस्था की तानाशाही हो सकती है लेकिन व्यक्ति की नहीं। कई देशों में संविधान बनाने में भी जनता की भागीदारी ली जाती है । भारतीय व्यवस्था में समाज को महत्व दिया जाता है । यहां पर समाज को संचालित करने के लिए एक अच्छी वर्ण व्यवस्था थी जो इस्लामिक और अंग्रेजी शासनकाल में बिल्कुल टूट गई । व्यवस्थाओं में राजनेताओं का हस्तक्षेप बढ़ गया । राज्य व्यवस्था में संसदीय लोकतंत्र हो जाने से यहां भी व्यवस्थाओं की समय–समय पर तानाशाही रहती है । कभी विधायिका सर्वोच्च हो जाती है तो कभी न्यायपालिका । इनकी सर्वोच्चता की लड़ाई में जनता पिस रही है। यहां संविधान पर तंत्र का सर्वाधिकार है । समाज तंत्र का गुलाम है। लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं । धर्म का राज्यव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं होता । यहां धर्म को समाज का सहायक माना जाता है । उन्होंने बताया कि समाज में दो तरीके के लोग होते हैं (1) मोटीवेटर (2) मोटिवेटेड । उन्होंने आरोप लगाया कि मोटीवेटर लगभग बिके हुए होते हैं । कुछ मोटीवेटर पश्चिमी देशों से पैसा लेकर उनका एजेंडा भारत में फैलाते हैं । लोगों को महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण आंदोलन, मानवाधिकार के नाम पर आंदोलन चलाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं । यह सब करने के पीछे उनका उद्देश्य फंडिंग लेना होता है । कुछ मोटीवेटर कम्युनिस्ट देशों से पैसा लेकर वर्ग निर्माण आंदोलन भारत में चलाते हैं । मीडिया और संगठन भी इन देशों से पैसा लेकर उनके एजेंडे को भारत में जोर–शोर से संचालित करते हैं । राजनैतिक

व्यवस्था भी जनहित को भूल कर अपने–अपने स्वार्थ में लोकप्रिय होने के लिए अलग–अलग देशों से पैसा लेती हैं । पैसा लेकर उनके हित के लिए कानून बनाते हैं, संविधान बदलते हैं । कुछ अल्पसंख्यक मोटिवेटर अरब देशों से अल्पसंख्यक अधिकार दिलाने के नाम पर इस्लामिक देशों से पैसा लेते हैं । कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि वास्तव में सभी मोटीवेटर बिके हुए हैं । किसी की विश्वसनीयता सिद्ध नहीं है अब ऐसे लोग जिस देश के मार्गदर्शक होंगे उस देश और समाज की स्थिति आगे कैसी होगी । आप आकलन कर सकते हैं । उन्होंने स्वदेशी विचार पर भी अपना मत रखा । उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन गांधी ने इसलिए चलाया क्योंकि उस समय अंग्रेजों को आर्थिक रुप से कमजोर करना था, लेकिन भारत के लोग आज भी स्वदेशी, कपड़ा, समान, भाषा आदि की बात करते हैं, लेकिन स्वदेशी संविधान आवश्यक हो ऐसी मांग कभी नहीं करते । अब दुनिया में खुली प्रतिस्पर्धा है । अगर हमें किसी देश में सस्ती चीजें मिलती है तो उसे लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए । उन्होंने कहा कि स्वदेशी का मतलब स्थानीय होता है । हमे स्वदेशी संविधान की आवाज जोर शोर से उठानी चाहिये।

उत्तरार्ध

मुनि जी के सन्यास के बाद आयोजित हुआ पहला ज्ञान यज्ञ।

दिनांक 25 –7 – 2021 दिन रविवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया । सिंगापुर सोसाइटी में आदरणीय श्री बजरंग मुनि जी की उपस्थिति में देश भर से जुटे प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं रायपुर शहर के गणमान्य नागरिकों जिसमें पत्रकार ,शिक्षाविद ,वकील,तथा सामाजिक कार्यकर्ता आदि लोगों की उपस्थिति में हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया । इसके पश्चात एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, गोष्ठी का संचालन श्री मुकेश गोयल जी ने किया । गोष्ठी का मुख्य विषय '' समान नागरिक संहिता या हिंदू राष्ट्र '' था। इस विषय पर अपने विचार रखते हुए देश के प्रख्यात विचारक व समाजशास्त्री बजरंग मुनि जी ने कहा कि सभी समस्याओं के समाधान की शुरुआत के लिए हमें समाज सशक्तिकरण की दिशा में पहल करनी चाहिए । परिवार से लेकर समाज तक संवाद प्रणाली को जागृत करना इसके लिए अधिक सहायक हो सकता है ।बजरंग मुनि जी ने यह भी बताया कि मैंने रामानुजगंज (छत्तीसगढ़) से दिल्ली होते हुए ऋषिकेश तक जाकर, कुल 65 वर्षों तक समाजशास्त्र पर रिसर्च किया और निष्कर्ष निकाला कि समाज मे समस्या का मूल कारण बढ़ती शराफत और चालाकी है। भारत के लोगो मे स्वार्थ और हिंसा बढ़ रही है। उन्होंने इस समस्या का हल खोजा कि सभी व्यक्तियों को शराफत से समझदारी की दिशा में अगर ले जाया जाय तो समस्या से छुटकारा कुछ हद तक पाया जा सकता है। मुनि जी ने कहा कि समाज सर्वोच्च है ,धर्म मार्गदर्शक और राज्य प्रबंधक इस धारणा को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि रामानुजगंज मेरी शोध एवं प्रयोग भूमि रही है। एक महत्वपुर्ण जानकारी देते हुए मुनि जी ने कहा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद ''मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान '' की व्यवस्था के अंतर्गत ज्ञान यज्ञ परिवार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। ज्ञान यज्ञ के संयोजक अभ्युदय द्विवेदी जी ने बताया कि ज्ञान यज्ञ परिवार ज्ञान यज्ञ के माध्यम से समाज में संवाद प्रणाली को आधार बनाकर सतत सक्रिय है जिससे की आम लोगों में समझदारी का विकास हो। इस निमित्त रायपुर से यह पहला ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ है। ज्ञान यज्ञ परिवार से जुड़े हुए लोग पूरे भारत में ज्ञान यज्ञ का आयोजन शुरू करने जा रहे है । इस वर्ष के शेष 4 माह में 100 स्थानों पर ऐसे यज्ञ का लक्ष्य रखा गया है ।

मुकेश गोयल जी ने बताया कि ज्ञान यज्ञ के साथ–साथ ''संस्थान'' स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में भी छात्रों के साथ समाजशास्त्र विषय पर गोष्ठियों का आयोजन कर संवाद करेगा । फेसबुक, व्हाट्सएप , ट्विटर ,कू तथा अन्य मीडिया माध्यमों से भी संवाद प्रणाली को मजबूत किया जाएगा । समाज में समाज विज्ञान पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा । वर्तमान भारत में समाजशास्त्र पर चर्चा कम होकर धर्मशास्त्र ,राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र की चर्चा महत्वपूर्ण होती जा रही है । संस्थान प्रयत्न करेगा कि इन सबकी तुलना में समाजशास्त्र पर अधिक विचार मंथन हो । इस तरह हम रायपुर केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से लगातार देशभर में सामाजिक जन जागरण के कार्यक्रम में सक्रिय रहेंगे।

कार्यक्रम में उपस्थिति लोगो के प्रश्नों का मुनि जी ने उत्तर दिया। एक प्रश्न के जबाब में मुनि जी ने कहा कि भारत के लोगो को हिन्दू राष्ट्र की जगह समान नागरिक सहिंता की बात करनी चाहिए, इसके लागू हो जाने से भारत की ढ़ेर सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त श्री मुकेश शर्मा , श्री सुधांशु गोयल , श्री स्वप्निल मित्तल ने समान नागरिक सहिंता और हिन्दू राष्ट्र विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। ज्ञान यज्ञ संयोजक अभ्युदय द्विवेदी जी ने कार्यक्रम में उपस्थिति सभी व्यक्तियों को,इस पुण्य कार्य मे समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किये तत्पश्चात प्रार्थना करा कर कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा की गयी।

प्रभु जी दो ऐसा वरदान!
हम न किसी से दबे, प्रभु जी नही किसी को दबावे!
सुने सभी की करे स्वयं की, यही नीति अपनावे!
स्वविवेक से करे फैसला इसका रखे ध्यान!!
प्रभु जी........................
स्वतंत्रता और सहजीवन ही सिर्फ शान्ति की राह!
हर परिवार की यहीं हो धारा, यही हमारी चाह!
मै समाज का समाज मेरा, ज्ञान यज्ञ अभियान!!
प्रभु जी....................

स्वतंत्रता और सह जीवन का सबको पाठ पढावे!
श्रद्धा तर्क और स्वाभिमान से, नई राह अपनावे!
शून्य ही आया शून्य जायेगा।
यह अंतिम परिणाम!
प्रभु जी.................................
हमसब मिलकर हर घर घर मे ज्ञान यज्ञ अपनावे,
छोड शराफत हम सब कोई समझदार बन जावे!
मध्यमार्ग या उत्तरपथ ही, एक मात्र समाधान!
प्रभु जी दो ऐसा वरदान!!

नोट–आप सबको विदित है कि मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान तथा ज्ञान यज्ञ परिवार का संयुक्त कार्यालय रायपुर मे शुरू हो गया है। आपको यह भी जानकारी है कि मैने 25 दिसम्बर से सारा कार्य नई समीति को सौप दिया है। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत ज्ञान तत्व भी शुरू हो गया है। जिसका तीसरा अंक आपके पास जा रहा है। आप ज्ञान तत्व को पढे और आपके मन मे जो भी प्रश्न उठते हो अथवा आप किसी विषय पर कुछ अपने विचार लिखना चाहते हो ता आप इस पते पर लिखिये। बजरंग लाल अग्रवाल, पोस्ट बाक्स–15 रायपुर छत्तीसगढ 492001, पर आप पत्र लिखे। आप फेसबुक वाटसअप से भी अपने विचार भेज सकते है। परिस्थितिनुसार फोन से भी चर्चा हो सकती है। हमारे अन्य साथी भी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और आवश्यकतानुसार मे भी इस कार्य मे सक्रिय रहूंगा। आप भी कुछ नये लोगो को जोड सके तो आप लिखिये । हम उन्हे भी ज्ञान तत्व भेजेंगे। आप अपने यहां ज्ञान यज्ञ का अथवा कोई अन्य कार्यक्रम रखना चाहे तब भी आप अभ्युदय भाई जी से चर्चा कर सकते है। या मुझे भी लिख सकते हैं। यह अवश्य है कि मै अब यात्राए कम करने की कोशिश कर रहा हूॅ।